

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती सुनिता यादव, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 378 /2022

उनवान

हरदेव पिता सुखदेव बेरवा निवासी सुभाष नगर शाहपुरा

- प्रार्थी

बनाम

- 1- मगनी पत्नी गोकुल बेरवा निवासी दौलतपुरा तहसील शाहपुरा
- 2- रामपाल पिता प्रताप बेरवा निवासी दौलतपुरा तहसील शाहपुरा
- 3- मोहन पिता सुखपाल बेरवा निवासी दौलतपुरा तहसील शाहपुरा
- 4- गणपत पित मगना बेरवा निवासी दौलतपुरा तहसील शाहपुरा
- 5- बरदी चंद पिता मोती मीणा निवासी गोपालपुरा बास्टा तहसील शाहपुरा
- 6- हेमराज पिता उदा कुमावत निवासी दौलतपुरा तहसील शाहपुरा
- 7- रामपाल पिता प्रताप बेरवा निवासी दौलतपुरा तहसील शाहपुरा
- 8- रामरतन पिता रामपाल लोदा निवासी गोपालपुरा बास्टा तहसील शाहपुरा
- 9- रामकिशन पिता भेरू गुर्जर निवासी दौलतपुरा तहसील शाहपुरा
- 10- राजू पिता पोलू बेरवा निवासी दौलतपुरा तहसील शाहपुरा
- 11- नाथी पत्नी रामस्वरूप कोली निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 12- धापू पत्नी अमरा बेरवा निवासी दौलतपुरा तहसील शाहपुरा
- 13- चांद मल पिता मगना बेरवा निवासी दौलतपुरा तहसील शाहपुरा
- 14- देबी लाल पिता हजारी जाट निवासी दौलतपुरा तहसील शाहपुरा
- 15- मूली पत्नी नवल किशोर जीनगर निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

- विपक्षीगण

उपस्थिति :- श्री अविनाश जीनगर
अधिवक्ता प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

--: निर्णय :-

दिनांक- 18.10.2022

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है - ग्राम दौलतपुरा पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 1470 रकबा 0.27 है0, 1471 रकबा 0.24 है0, 1515 रकबा 0.32 है0, 434 रकबा 0.47 है0, 903 रकबा 0.09 है0, 904 रकबा 0.28 है0 कुल किता 6 रकबा 1.67 हैक्टेयर का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जायें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 8, 10, 12 लगायत 14 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा विपक्षीगण सं0 9, 11, 15 के विरुद्ध अभिभाषक प्रार्थी के कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम दौलतपुरा पटवार हल्का दौलतपुरा संवत 2076 से 2079 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज होकर अपनी आराजीयात् की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा दौलतपुरा में स्थित प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी की आराजीयात् किता 6 रकबा 1.67 हैक्टेयर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 600/- रुपये कायम किये जाते हैं, जो प्रार्थी से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2022 को सरे ईजलास सुनाया गया।



(सुनिता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजायें।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा